


राजस्थान सरकार  
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2017

जयपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2017

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पत्रांक एफ.7(2)(5)पंचा /रानिआ/2016/1162 दिनांक 18.04.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 31.03.2017 के अनुसार धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-79 के उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा धौलपुर जिले में नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड संख्या-17 एवं पंचायत समिति बसेड़ी के वार्ड संख्या-15 के सदस्य तथा दो सरपंच एवं पांच पंचों हेतु उपचुनाव पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन किया गया है। नवीन कार्यक्रम अनुसार उपचुनाव दिनांक 23.04.2017 (रविवार) को होना निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि धौलपुर जिले में नगरपालिका राजाखेड़ा के वार्ड संख्या-17 एवं पंचायत समिति बसेड़ी के वार्ड संख्या-15 के सदस्य तथा दो सरपंच एवं पांच पंचों के उप चुनावों में मतदान होने की स्थिति में, दिनांक 23.04.2017 (रविवार) को संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा।



(शरद मेहरा)

निदेशक (बजट)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-**

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/ शासन सचिवगण।
9. संभागीय आयुक्त, भरतपुर, राजस्थान।
10. मुख्य चुनाव अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. जिला कलक्टर, धौलपुर, राजस्थान।
13. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ( पांच प्रतियों सहित)।

- 14.अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु।
15. कोषाधिकारी धौलपुर राजस्थान।
- 16.उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।
- 17.वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।
- 18.मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम,मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।
- 19.मैनेजर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर।
- 20.संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत समस्त बैंक।
- 21.राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3 – नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
- 22.मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।
- 23.महामन्त्री, राजस्थान बैंक कर्मचारी संगठन, गोपालजी का मन्दिर, जयपुर।
- 24.सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन, द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।
- 25.अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, एम.आई.रोड़, जयपुर।
- 26 महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय तिलक मार्ग, जयपुर।
27. अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।
- 28.अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।
- 29.मन्त्री, को-ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन , कोटा।
- 30.वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
- 31.अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।
- 32.महाप्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।

  
 उप शासन सचिव